

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर  
Email:- Rghs.rsrc@gmail.com  
Tel. 0141-2373048

क्रमांक/मु./वित्त/भु- 1/RGHS/2024/1550

दिनांक:- 18/4/2024

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक 147 दिनांक 14.07.2023 जारी किये गये हैं।

उक्त आदेशों में बिन्दु संख्या 04 में क.म. संख्या 02 पर RGHS कार्ड की प्रति चाही गई है जिसमें कार्ड की CATEGORY निम्न प्रकार से होना अनिवार्य है:-

1. यदि सेवारत कार्मिक 01.01.2004 से पूर्व निगम में नियुक्त हुआ हो तो कार्ड की CATEGORY SAB PENSIONER (PRIOR 01-01-2004) होगी।
2. यदि सेवारत कार्मिक 01.01.2004 के पश्चात् निगम में नियुक्त हुआ हो तो कार्ड की CATEGORY SAB PENSIONER (ON AND AFTER 01-01-2004) होगी।
3. यदि सेवारत कार्मिक के FAMILY PENSIONER हो तो कार्ड की CATEGORY FAMILY PENSIONER (PRIOR 01-01-2004) और FAMILY PENSIONER (ON AND AFTER 01-01-2004) होगी।

राम गोपाल धारीक  
(वित्तीय सलाहकार)

दिनांक:- 18/4/2024

क्रमांक/मु./वित्त/भु- 1/RGHS/2024/1550

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार महोदय रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन, विधि, यातायात, यांत्रिक) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक ..... रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महाप्रबंधक (आई.टी.) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को निगम वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त मुख्य प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने आगार एवं ईकाइयों से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को इस आदेश अवगत करावें एवं नोटिस बोर्ड पर धिपकाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. आदेश पत्रावली।

I.T./821  
29/04/24

महा प्रबंधक (वित्त)  
एवं नॉडल अधिकारी  
RGHS निगम मुख्यालय।

2/C